

( राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत )

**ग्रामीण सेवा शिविर-2025**

ब्रह्मरथ सेरवा 22/03/25

दायर दिनांक 21/03/25

प्रशासन गांवों के संग-2025

निर्णय दिनांक 27/03/25

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>कीरखेडा</u> पंचायत <u>हवियाना</u> मू०अ०नि०वृत्त <u>हवियाना</u> तहसील- <u>कपस्तन</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	127	खिना-11	2.14	कना पुत चुना जाते- जाट	किशनलाल पुत चुना जाते-जाट	
<p>मुताबिक मिसल / जमाबन्दी संवत <u>2074-77</u> के उपरोक्तानुसार <del>शुद्ध</del> शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।</p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>		<p>प०हल्का <u>हवियाना</u> मू०अ०नि० <u>हवियाना</u> को रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दाबस्त सक्रियाओ के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।</p>
<p>ह० पटवारी दिनांक <u>18/09/25</u> पंचायत <u>हवियाना</u></p>				<p>ह० मू०अ०नि० वृत्त <u>हवियाना</u></p>		<p>प०हल्का <u>हवियाना</u> मू०अ०नि० <u>हवियाना</u> राजस्व अधिकारी <u>कपस्तन</u> को रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबन्दी में अमल किया जावे।</p>

नि. कि. 20/03/25



ह० उपखण्ड अधिकारी कपस्तन

ह० उपखण्ड अधिकारी कपस्तन

Handwritten signature and text: ह० मू०अ०नि० वृत्त हवियाना